न्यायालय – सिविल जज जू0 डि0 छाता मथुरा ।
मूलवाद संख्या – 06 सन 2017
रामफूल बनाम श्रीमती ममता आदि

10.08.2017

पत्रावली पेश हुई । पक्षकार जरिये अधिवक्ता उपस्थित ।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 12क अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है, कि वादी द्वारा अत्यन्त जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भूलवश कुछ महत्व पूर्ण तथ्य लिखने से रह गये है तथा कुछ शब्द टाईप की गलती से गलत दर्ज हो गये जिन्हें उक्त वाद के उचित व सम्यक निस्तारण हेतु संशोधन के माध्यम से लिखा जाना आवश्यक है । अतः वाद पत्र में संशोधन किये जाने की याचना किया गया है ।

इस स्तर पर प्रतिवादी की ओर से वाद में न तो कोई हाजिर हुआ और न ही प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल किया गया ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 12क के माध्यम से वाद पत्र में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है । संशोधन किये जाने का कारण वाद दायर करते समय कुछ तथ्यों का वाद पत्र लिखने से रह जाने एवं तथा कुछ शब्दों का टाईप की गलती से गलत दर्ज हो जाने का कथन किया गया है । वादी के द्वारा जो संशोधन चाहा गया है उससे वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है । प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है । प्रार्थना पत्र शपथ पत्र 13ग द्वारा समर्थित है । अतः वाद के अन्तिम रूप से गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 12क न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थना पत्र 12क न्याय हित में स्वीकार किया जाता है ।

वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग दिनांक 21.09.2017 के लिये पेश हो ।

सिविल जज जू0 डि0,
छाता